

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

आदेश

भोपाल दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक एफ 7-7/2001/आर.प्र/एक.—राज्य शासन, एतद्वारा, सीधी भर्ती/फैसला के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेकलाग के निर्धारण हेतु, जिला स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर निम्नानुसार समितियां भठित करता हैः—

(अ) जिला स्तर पर:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | |
| 3. | संबंधित विभाग का जिला स्तर का अधिकारी | सचिव |
| 4. | जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण | |
| 5. | अजाक्स का एक प्रतिनिधि (जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा नामांकित किया जायेगा) | |

(ब) विभागाध्यक्ष स्तर पर :

- | | | |
|----|---|---------|
| 1 | संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित विभाग का स्थापना
शाखा का प्रभारी अधिकारी
(प्रथम श्रेणी स्तर पर). | सचिव |
| 3. | विभाग में ही कार्यरत् अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति का अधिकारी
(कम से कम द्वितीय श्रेणी का हो) | |
| 4. | अजाक्स का एक प्रतिनिधि
(जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा
नामांकित किया जायेगा. | |

(स) मंत्रालय स्तर पर:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित स्थापनाओं के अवर सचिव/उप सचिव | सचिव |
| 3. | विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री
(निगरानी प्रक्रोष्ठ) | |

4. अजाक्स का एक प्रतिनिधि के रूप में
 अध्यक्ष, अजाक्स मंत्रालयीन शाखा
 मंत्रालयीन स्थापना के रोस्टर एवं बैकलास और निर्धारण मुख्यमंत्री कार्यालय (निगरानी प्रकोष्ठ) के साथ समन्वय करके
 किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
 (चाय. एस. बेले)
 अवर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ-7-7/2001/आर.प्र/एक

भोपाल दिनांक 28 मई, 2001

पात्राभिप्राप्ति:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
 2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
 3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
 4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
 5. समिति के संबंधित सदस्य.
 6. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश, अजाक्स, एफ-१८/१२, कुलसी नगर, सेकेण्ड स्टाप, भोपाल.
 7. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाध्यक्ष,
- फी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
 अवर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग.

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन, भोपाल-462004.**

आदेश

भोपाल दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक एफ 7-7/2001/आर.प्र/एक.—राज्य शासन, एतद्वारा, सीधी भर्ती/पदोन्नति व्ये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेकलाग के निर्धारण हेतु, जिला स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंत्रालय स्तर पर निम्नानुसार समितियां गठित करता हैः—

(अ) जिला स्तर पर:

- | | |
|---|---------|
| 1. जिला कलेक्टर | आध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सचिव |
| 3. संबंधित विभाग का जिला स्तर का अधिकारी | सचिव |
| 4. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण | |
| 5. अजाक्स का एक प्रतिनिधि (जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा नामांकित किया जायेगा) | |

(ब) विभागाध्यक्ष स्तर पर :

- | | |
|--|---------|
| 1. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष | आध्यक्ष |
| 2. संबंधित विभाग का स्थापना शाखा का प्रभारी अधिकारी
(प्रथम श्रेणी स्तर पर). | सचिव |
| 3. विभाग में ही कार्यरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी
(कम से कम द्वितीय श्रेणी का हो) | |
| 4. अजाक्स का एक प्रतिनिधि
(जिसको प्रदेशाध्यक्ष, अजाक्स द्वारा नामांकित किया जायेगा.) | |

(स) मंत्रालय स्तर पर:

- | | |
|---|---------|
| 1. सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग | आध्यक्ष |
| 2. संबंधित स्थापनाओं के अवर सचिव/डप सचिव | सचिव |
| 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री
(निर्गानी प्रक्रोष्ट) | |